न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम जिला अलवर राज0

पीठासीन अधिकारी :– बलवन्तसिंह लिग्री आर.ए.एस

राजस्व अपील सं0	दायरा दिनांक	निर्णय दिनांक
30 / 2014	01.10.2014	1.5.16

उनवान

1. बातुनी पुत्री खवासी पत्नि छोटला जाति मेंव निवासी किरवारी तहसील कोटकासिम हाल निवासी दादर अलवर जिला अलवर राज0 ।
2. बसकरी पुत्री खवासी पत्नि इसराईल जाति मेंव निवासी किरवारी तहसील कोटकासिम जिला अलवर हाल निवासी नबीनगर तहसील तिजारा जिला अलवर राज0।
3. बस्सी पुत्री खवासी पत्नि सुल्ले खॉ जाति मेंव निवासी किरवारी तहसील कोटकासिम हाल निवासी नबी नगर तहसील तिजारा जिला अलवर राज0 ।
4. नसीरी पुत्री खवासी पत्नि इब्राहिम जाति मेंव निवासी किरवारी तहसील कोटकासिम हाल निवासी दादर अलवर जिला अलवर राज0।

:– अपीलान्टान

बनाम

1. ग्राम पंचायत जटियाणा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत जटियाणा तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0.।
2. नसीर पुत्र खवासी,
3. सहरून पुत्र गफुर,
4. साहिल पुत्र गफुर,
5. शहरूना पुत्री गफुर ,
6. साहिना पुत्री गफुर,
7. जुबेदा पत्नि गफूर,
8. शाबू पुत्र टूण्डू,
9. कबूली पुत्री टूण्डू जाति मेंवान निवासीयान किरवारी तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0

:– रेपोडेन्टान

अपील विरूद्ध आज्ञा ग्राम पंचायत जटियाना दिनांक 09.10.1986 बाबत इंतकाल सं0 161 ग्राम किरवारी

उपस्थित :–

1. श्री हैतराम पोसवाल अधिवक्ता, अपीलान्टान

निर्णय

अपीलान्टान द्वारा एक अपील व प्रार्थनापत्र दफा 5 मियाद अधिनियम इस न्यायालय में विरूद्व आज्ञा ग्राम पंचायत जटियाणा तह0 कोटकासिम जिला

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

अलवर निर्णय दिनांक 09/10/1986 बाबत इन्तकाल सं0 161 ग्राम किरवारी तहसील किशनगढ–बास हाल तहसील कोटकासिम जिला अलवर ग्राम पंचायत जटियाणा तहसील कोटकासिम पेश कर कर निवेदन किया कि ग्राम पंचायत के निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 20/9/14 को होने के पश्चात नकुलात दस्तावेजात, उक्त नामान्तकरण की सत्य प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु प्रार्थनापत्र पेश किया । नकल दिनांक 30/9/14 को प्राप्त हुई तथा कानूनी सलाह ली एंव बाद कानूनी सलाह के अपील हाजा पेश की। जिससे अपील हाजा साधारणतया अन्दर मियाद पेश है। चूंकि नामान्तकरण खिलाफ मौका व खिलाफ कानून होने से यद्यपि मियाद का कन्डोन किये जाने का अलग से प्रार्थनापत्र भी पेश किया है। अपील हाजा के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलान्टान के पिता खवासी पुत्र जेंडा जाति मेंव निवासी किरवारी तहसील किशनगढ–बास हाल तह0 कोटकासिम की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी वाके ग्राम किरवारी तहसील किशनगढ–बास हाल कोटकासिम में स्थित है। मिन अपीलान्टान का पिता खवासी फोत हो चुका है । मृतक खवासी की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी वाके ग्राम किरवारी में स्थित है। वक्त मृत्यु खवासी ने अपने पीछे भूमि एंव चल वो अचल सम्पति छोडी। जो उसके जायज वो विधिक वारिसान को विधिवत रूप से प्राप्त हुई है सजरा इस प्रकार है।

खवासी (मृतक)

1.टुण्डू	2नसीर	3.गफूर	4.बातूनी	5.बसकरी	6. बस्सी	7.नसीरी
पुत्र फौत	पुत्र	पुत्रफौत	पुत्री	पुत्री	पुत्री	पुत्री
1/1शाबू		3/1सहरून				
1/2कबूली		3/2साहिल				
		3/3सहरूना				
		3/4साहिना				

मृतक खवासी के सजरा अनुसार जायज वो विधिक वारिसान हैं । मृतक खवासी के 3 पुत्र टूण्डू नसीर व गफूर के अलावा हम अपीलान्टान भी मृतक खवासी की जायज वो विधिक वारिसान है जिनका उक्त जायदाद में बहिस्से बराबर हक वो हिस्सा निहित है। किन्तु रेस्पो0 सं0 2 तथा 3 लगायत 9 के पति, पिता मृतक टूण्डू व गफूर द्वारा तत्कालीन हल्का पटवारी वो ग्राम पंचायत सरपंच वो पंच गणो ने आपस में साजबाज होकर हम अपी0 को हानि पहुंचाने के आशय से तथा यह जानते हुवे कि मृतक खवासी के 3 पुत्रो के अलावा 4 पुत्रीयान भी मौजुद है। इसके बावजूद नामान्तकरण में वक्त दर्ज करने नामान्तकरण वाका गलत दर्ज किया गया और खाना सं0 14 में मात्र विरासत मृतक खवासी बहक टूण्डू नसीर व गफूर के नाम दर्ज किया गया और हम अपी0 पुत्रियान का नाम इंतकाल में दर्ज नही कराया गया। नामान्तकरण सं0 161 में दर्ज आराजी खसरा न0 359 रकबा 0.1900 है0, 360 रकबा 0.2500 है0, 361 रकबा 0.4900 है0, 362 रकबा 0.5100 है0, 367 रकबा 0.2400 है0, 368 रकबा 0.2200 है0, 363 रकबा 0.0500 है0 वाके ग्राम किरवारी तहसील कोटकासिम है। जिसमें मृतक खवासी का 1/2

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

हिस्सा है। उक्त 1/2 हिस्से में हम अपीलान्टान का 1/7–1/7 यानि 4/7 भाग के काबिज काश्त खातेदार हैं। किन्तु कतई गलत रूप से खिलाफ सूचना के बिना सुने कतई गलत रूप से विधि विरूद्व तरीके से नामान्तकरण दर्ज किया गया। जो नामान्तकरण सं0 161 दिनांक 09/10/1986 खिलाफ मौका वो खिलाफ कानून है एंव हरसूरत में काबिल निरस्त है। नामान्तकरण सं0 161 में दर्ज आराजी का 1/2 भाग वाके ग्राम किरवारी तहसील कोटकासिम की आराजी जिसकी बाबत रेस्पो0 सं0 2 लगायात 9 को तथा उनके मृतक पिता तन्हा अपने नाम अंकन कराने का अधिकारी नही थे लेकिन रेस्पो0. सं0 2 तथा मृतक टूण्डू व गफूर ने अपने नाम का तन्हा इंतकाल दर्ज करा लिया। जो इंतकाल हरसूरत में काबिल खारिज है । मृतक टूण्डू ने अपने हिस्से की आराजी का बेचान रेस्पो0 सं0 2 व रेंस्पो0 सं0 3 लगायत 7 के पति –पिता गफूर के हक में बेचान कर दिया। यद्यपि तर0 रेस्पो0 सं0 8 व 9 के पिता ने अपने हिस्से की आराजी का बेचान कर दिया है। लिहाजा अब उनका उक्त आराजी में कोई हक हिस्सा नही है। मात्र खवासी के वारिसान होने के कारण उन्हे पक्षकार मुकदमा बनाया गया हैं। रेस्पो. उक्त गलत इन्द्राज के आधार पर विवादित आराजी को बेचान करने पर आमादा हैं। यदि रेस्पो0 अपने नापाक इरादो में कामयाब हो गये तो हम अपी0 को अजहद की हानि होगी। इसलिए रेस्पो0 को जरिये हुक्मइम्तनाई दवामी से पाबन्द किया जावे कि वो विवादित आराजी को किसी दीगर सख्स को रहन बैय हिबा लीज इत्यादि से मुन्तकिल ना करे, ना ही तन्हा अपने नाम से या किसी दीगर सख्स के नाम खातेदार प्राप्त करे। मातहत ग्राम पंचायत ने अपना आलोच्य आदेश पारित करने में सही जाप्ता काम में नही लिया जिससे मिन अपीलान्ट को काफी प्रज्यूडिस होना पडा है। मातहत ग्राम पंचायत का आलोच्य आदेश विधि एंव तथ्यो के विपरीत पारित हुआ है जो रूऐदाद मिसल है। विवादित नामान्तकरण कतई विधि विरूद्व दर्ज वो मंजूर होने के कारण हरसूरत में काबिल खारिज है। अतः अपील अपीलान्टा पेश कर अर्ज है कि देरीना अवधि माफ कर अपील अपीलान्टा स्वीकार फरमाई जावे एंव निर्णय दिनांक 09/10/1986 बाबत नामान्तकरण सं0 161 ग्राम किरवारी तहसील कोटकासिम ग्राम पंचायत जटियाणा तहसील किशनगढं–बास जिला अलवर निरस्त फरमाया जावे जाकर मृतक खवासी के वारिसान की जॉच कर मृतक खवासी की विरासत का 4/7 भाग हम अपीलान्टान के नाम दर्ज व मंजूर किये जाने की आज्ञा सादिर फरमाई जावे। महति कृपा होगी।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टान को जर्ये नोटिस सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया।

रेस्पोडेन्टान 1 से 9 बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं हुऐ। इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

अपीलान्टान के विद्वान अधिवक्ता की बहस एक पक्षीय सुनी गई। अपीलान्टान के विद्वान अधिवक्ता की ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम पंचायत ने आलोच्य इन्तकाल सं0 161 वाके ग्राम किरवारी को गलत दर्ज व स्वीकार किया है। इन्तकाल केवल पुत्रों के नाम स्वीकार किया हैं। जबकि मृतक खवासी के 3 पुत्रो

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

के अलावा 4 पुत्रीयान भी मौजुद है। ग्राम पंचायत ने वारिसों की सही जांच नहीं की, नाही हम अपीलान्टान को कोई नोटिस दिया, ना ही सूचित किया। ग्राम पंचायत के निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 20/9/14 को होने के पश्चात नकुलात दस्तावेजात, उक्त नामान्तकरण की सत्य प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु प्रार्थनापत्र पेश किया। नकल दिनांक 30/9/14 को प्राप्त हुई। जिससे अपील हाजा अन्दर मियाद पेश है। नामान्तकरण खिलाफ मौका व खिलाफ कानून होने से मियाद का कन्डोन किये जाने का अलग से प्रार्थनापत्र पेश किया है। विवादित नामान्तकरण कतई विधि विरूद्व दर्ज वो मंजूर होने के कारण हरसूरत में काबिल खारिज है। रेस्पो. उक्त गलत इन्द्राज के आधार पर विवादित आराजी को बेचान करने पर आमादा हैं। यदि रेस्पो0 अपने नापाक इरादो में कामयाब हो गये तो हम अपी0 को अजहद की हानि होगी। इसलिए रेस्पो0 को जरिये हुक्मइम्तनाई दवामी से पाबन्द किया जावे तथा देरीना अवधि माफ कर अपील अपीलान्टा स्वीकार फरमाई जावे । मृतक खवासी के वारिसान की जॉच कर मृतक खवासी की विरासत का 4/7 भाग हम अपीलान्टान के नाम दर्ज व मंजूर किये जाने की आज्ञा सादिर फरमाई।

मेरे द्वारा अपीलान्टान के विद्वान अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सुनी गयी। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज व बहस के तथ्यों पर विचार किया गया। आलोच्य इन्तकाल सं0 161 वाके ग्राम किरवारी को तत्कालीन ग्राम पंचायत द्वारा गलत स्वीकार कर निर्णय किया गया है। क्योंकि आलोच्य स्वीकार करते समय अपीलान्टान को सुनवाई का अवसर दिये जाने का कोई उल्लेख इन्तकाल पर दर्ज नहीं किया है जबकि अपीलान्टान द्वारा स्वयं को मृतक खवासी की जायज पुत्रियान होना बताया है। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा इन्तकाल को निर्णय करते समय विधिनुसार कार्यवाही ना कर के भूल की है। इसलिए आलोच्य नामा0 स0 161 ग्राम पंचायत का निर्णय दिनांक 09/10/1986 निरस्त किये जाने योग्य है तथा देरीना अवधि भी माफी योग्य है।

आदेश

अपीलान्ट का प्रा0 पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है व अपील आंशिक स्वीकार की जाती है। ग्राम पंचायत का निर्णय दिनांक 09/10/1986 बाबत इन्तकाल स0 161 वाके ग्राम किरवारी ग्राम0 प0 जाटियाना निरस्त किया जाकर प्रकरण मृतक खवासी के वारिसान की विधिवत जांचकर इन्तकाल का निर्णय करने हेतु तहसीलदार कोटकासिम को प्रतिप्रेषित किया जाता है। निर्णय की प्रति तहसीलदार कोटकासिम को प्रषित की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 1.5.16 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बलवन्त सिंह लिम्बी)
उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर) राज0

Scanned by CamScanner